न्यायालय जिला कलक्टर, बारां (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी– श्री नरेन्द्र गुप्ता आई0ए0एस0

प्रकरण संख्या– 25/2022

बउनवान

महावीर प्रसाद त्रिवेदी पुत्र श्री सत्यनारायण जाति ब्राह्मण निवासी काउन स्कूल ब्रहमपुरी मौहल्ला छबडा तहसील छबडा जिला बारां राज0 जरिये मुख्त्यार कमल कालरा पुत्र श्री नन्दकिशोर कालरा जाति पंजाबी निवासी पशु चिकित्सालय के सामने छबडा जिला बारां (राज0) **(प्रार्थी)**

बनाम

1. श्रीमति मेहरूनिशा पत्नि श्री अब्दुल रफीक जाति मुसलमान, निवासी अलीगंज बाजार छबडा तहसील छबडा जिला बारां (राज0)
2. श्री अब्दुल वहीद पुत्र श्री अब्दुल हफीज जाति मुसलमान निवासी शक्ति नगर धरनावदा रोड, छबडा, तहसील छबडा जिला बारां (राज0)
3. थानाधिकारी, थाना छबडा, जिला बारां (राज0) **(अप्रार्थीगण)**

प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा–411 सी0आर0पी0सी0

उपस्थितिः– 1. श्री धमेन्द्र सिंह चौधरी, अभिभाषक **(प्रार्थी)**
2. श्री महेश प्रकाश गौत्तम, अभिभाषक **(अप्रार्थीगण)**

आदेश दिनांक– 26.12.2023

1– प्रार्थी की ओर से जर्ये अभिभाषक प्रस्तुत प्रार्थना पत्र संक्षेप में इस प्रकार है कि अप्रार्थी कम 3 द्वारा उपखण्ड अधिकारी छबडा के समक्ष प्रार्थी एवं अप्रार्थी कम 1 व 2 को पक्षकार बनाकर खसरा नंबर 120/42 वाके राजस्व ग्राम किशोरपुरा को धारा 145 जा0फो0 में कब्जा राज लिये जाने हेतु कार्यवाही प्रस्तुत की है, जो वर्तमान में विचाराधीन है। ग्राम किशोरपुरा की भूमि खसरा नंबर 120/42 रकबा 3 बीघा 15 बीस्वा भूमि पर प्रार्थी काबिज काश्त चला आ रहा है। उक्त भूमि रोड पर अवस्थित होने व किमती होने से अप्रार्थी कम 1 व 2 ने अपवने राजनैतिक रसूखात का लाभ लेकर गलत तरीके अपना कर एवं तहसील छबडा के प्रशासनिक अधिकारियों व कर्मचारीयों से साठ–गाठ कर उक्त भूमी को नक्शा तरमीम की आड में अपने नाम करवा लिया जिसका वाद प्रार्थी ने न्यायालय उपखण्ड अधिकारी छबड के समक्ष बउनवान महावीर प्रसाद त्रिवेदी बनाम महरूनिशा वगै0 अन्तर्गत धारा 88, 89, 90, 91, 92–ए, 188 आर.टी.एक्ट व धारा 111, 128, 128, 136 एल0आर0 एक्ट प्रकरण संख्या 24/22 प्रस्तुत किया गया था, परन्तु अप्रार्थी कम 1 व 2 द्वारा अनुचित राजनैतिक हस्तक्षेप करवाकर न्याय के मार्ग को प्रभावित करने के कारण प्रार्थी द्वारा अन्तर्गत धारा 235 आर.टी.एक्ट की कार्यवाही करने पर श्रीमान् के आदेश दिनांक 03.03.2022 से न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बारां में अन्तरित किया गया। जो वर्तमान् में विचाराधीन है। अप्रार्थीगण प्रभावशाली व्यक्ति हैं जो विधि विरूद्ध तरीके से प्रार्थी की आराजी को हड़पना चाहते हैं। अप्रार्थी कम 1 व 2 ने अप्रार्थी कम 3 से सांठगांठ कर प्रार्थी की उक्त आराजी को विधि विरूद्ध तरीके से हड़पने के उद्देश्य से ... कार्यवाही पेश करवाई तथा प्रार्थी की निरन्तर न्यायालय उपखण्ड मजिस्ट्रेट छबड़ा में उपस्थिति ... के बावजूद भी एकपक्षीय आदेश जारी कर दिनांक 02.08.2022 को प्रार्थी को गुमराह करते हुए ... तहसीलदार छबड़ा को रिसीवर नियुक्त कर दिया, जो खिलाफ कानून होने व प्रार्थी के ... के अधिकार के विपरीत होने से अवैधानिक है तथा अप्रार्थीगण एवं एस.डी.ओ. सा. की मिलीभगत को इंगित करता है। अतः ... पत्र स्वीकार किया जाकर उक्त पत्रावली न्यायालय एस.डी.ओ. छबड़ा से अन्य किसी भी न्यायालय में स्थानान्तरित करने के आदेश प्रदान करें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Narendra Gupta
Date: 2024.01.31 13:04:13 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
बारां (राज0)

प्रार्थना पत्र पेश होने पर नियमानुसार दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को तलब किया गया तथा पीठासीन अधिकारी उपखण्ड मजिस्ट्रेट, छबड़ा को प्रार्थना पत्र मेमो की प्रति भेजकर बिन्दुवार तथ्यात्मक रिपोर्ट मंगवायी गयी।

अप्रार्थी क्रम 1 व 2 जर्ये अभिभाषक उपस्थित हुये परन्तु जवाब पेश नहीं किया तथा सीधे बहस करना चाहा। न्यायालय उपखण्ड मजिस्ट्रेट, छबड़ा से बिन्दुवार तथ्यात्मक रिपोर्ट चाही गई।

न्यायालय उपखण्ड मजिस्ट्रेट, छबड़ा से बिन्दुवार तथ्यात्मक रिपोर्ट इस आशय की प्राप्त हुई कि प्रकरण में सीआरपीसी की धारा 145 के तहत निर्णय किया गया था। जिसको अपर जिला सेशन न्यायाधीश छबड़ा के द्वारा चाहे जाने पर उपरोक्त न्यायालय में पत्रावली भिजवा दी गई थी। प्रार्थी या अप्रार्थीगण न्याय पाने के लिए किसी भी न्यायालय में जा सकते हैं एवं न्यायालय के उपर लगाये गये समस्त आरोप निराधार हैं।

उक्त तथ्यात्मक रिपोर्ट प्राप्त होने पर हमने बहस उभयपक्ष विद्वान अभिभाषकगण सुनी।

दौराने बहस वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अप्रार्थीगण प्रभावशाली व्यक्ति हैं जो विधि विरूद्ध तरीके से प्रार्थी की आराजी को हड़पना चाहते हैं। अप्रार्थी क्रम 1 व 2 ने अप्रार्थी क्रम 3 से सांठगांठ कर प्रार्थी की उक्त आराजी को विधि विरूद्ध तरीके से हड़पने के उद्देश्य से उक्त कार्यवाही पेश करवाई तथा प्रार्थी की निरन्तर न्यायालय उपखण्ड मजिस्ट्रेट छबड़ा में उपस्थिति होने के बावजूद भी एकपक्षीय आदेश जारी कर दिनांक 02.08.2022 को प्रार्थी को गुमराह करते हुए प्रार्थी की आराजी पर तहसीलदार छबड़ा को रिसीवर नियुक्त कर दिया, जो खिलाफ कानून होने व प्रार्थी के सुनवायी के अधिकार के विपरीत होने से अवैधानिक है तथा अप्रार्थीगण एवं एस.डी.ओ. सा. की मिलीभगत को इंगित करता है। ऐसी स्थिति में प्रार्थी को अधीनस्थ न्यायालय से न्याय की उम्मीद नहीं है। अतः अधीनस्थ उपखण्ड मजिस्ट्रेट महोदय छबड़ा मे विचाराधीन उक्त प्रकरण को बारां जिले के किसी भी सक्षम न्यायालय में स्थानान्तरित किये जाने के आदेश फरमावें।

विद्वान अभिभाषक अप्रार्थीगण ने दौराने बहस कथन किया कि प्रार्थीगण ने प्रकरण न्यायालय उपखण्ड मजिस्ट्रेट, छबड़ा से अन्तरित किये जाने का उचित कारण प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में उल्लेखित नहीं किया है जिससे प्रकरण को अन्य न्यायालय में स्थानान्तरित किया जाना न्यायोचित हो। मात्र निर्णय को विलम्बित करने के उद्देश्य से प्रार्थना पत्र पेश किया है जो खारिज किये जाने योग्य होने से प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे।

हमने बहस उभयपक्ष पर मनन किया पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। प्रार्थीगण की ओर से प्रार्थना पत्र मुन्तकिली में पीठासीन अधिकारी पर जो आरोप लगाये गये हैं उनके सम्बन्ध में कोई साक्ष्य इस न्यायालय में पेश नहीं किये हैं। फिर भी प्रार्थी की आशंका को ध्यान में रखते हुए, प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना हम न्यायोचित समझते हैं।

अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाकर न्यायालय उपखण्ड मजिस्ट्रेट, छबड़ा में विचाराधीन प्रकरण संख्या – अन्तर्गत धारा 145 सीआरपीसी उनवान एस.एच.ओ. छबड़ा बनाम मेहरून्निसा वगैरह सुनवाई हेतु न्यायालय उपखण्ड मजिस्ट्रेट, बारां में अन्तरित की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड मजिस्ट्रेट छबड़ा को निर्देशित [illegible] माननीय न्यायालय अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश महोदय, छबड़ा से बाद निर्णय प्राप्त [illegible] निर्णय अनुसार पालना हेतु अविलम्ब न्यायालय उपखण्ड मजिस्ट्रेट, बारां को भिज[illegible] उपखण्ड मजिस्ट्रेट बारां को भिजवाये जाने की सूचना उभयपक्षकारान को देवें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Narendra Gupta
Date: 2024.01.31 13:04:13 IST
Reason: SelfAttested

निर्णय आज दिनांक 26.12.2023 को हमारे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(नरेन्द्र गुप्ता)
जिला कलक्टर, बारां

जिला कलक्टर बारां (राज०)

न्यायालय जिला कलेक्टर बारां (राज०)